इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.—2132—2147622—2024—उन्तीस—1 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2024

चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 और केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 तथा भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 2428 (अ) दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

आदेश

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, तथा प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश, 2024 है।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।

   (3) यह इस अधिसूचना के आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं-**

इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "बिग चेन रिटेलर्स" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो प्रत्येक आउटलेट के लिए इस आदेश के अधीन गेहूं का क्रय, विक्रय और विक्रय के लिए भंडारण करता है;

(ख) "प्रोसेसर" से अभिप्रेत है, कोई व्यापारी जो प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) का कार्य करता है और मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत को 2024-2025 के शेष महीनों से गुणा कर, उसके समतुल्य मात्रा तक गेहूं का क्रय, विक्रय और विक्रय के लिए भंडारण करता है;

(ग) "खुदरा विक्रेता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो खुदरा बिक्री के लिए गेहूं का क्रय, विक्रय और भंडारण करता है;

(घ) "व्यापारी/थोक विक्रेता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो व्यापार/थोक बिक्री के लिए गेहूं का क्रय, विक्रय और विक्रय के लिए भंडारण करता है।

(3) गेहूं के क्रय, विक्रय एवं भंडारण हेतु स्टॉक की घोषणा -प्रत्येक व्यापारी/रिटेलर/बिग चैन रिटेलर/प्रोसेसर (विधिक इकाइयां) संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से भारत सरकार,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर करेगा।

(4) अधिकतम स्टॉक सीमा- कोई भी व्यापारी/रिटेलर /बिग चैन रिटेलर/ प्रोसेसर (विधिक इकाईयां) असाधारण राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 2428(अ) नई दिल्ली दिनांक 24 जून, 2024 के खण्ड 2 में उल्लिखित निर्धारित स्टॉक सीमा एवं निर्धारित अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न समय अंतरालों पर संशोधित की जाने वाली मात्रा से अधिक स्टॉक क्रय, विक्रय एवं विक्रय के लिए भण्डारित नहीं करेगा:

परंतु ऊपर उल्लिखित विधिक ईकाईयां भारत सरकार के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि किसी व्यापारी/रिटेलर /बिग चैन रिटेलर/ प्रोसेसर (विधिक ईकाईयां) द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तारीख तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में ले आएंगी।

(5) आदेश के उल्लंघन पर निर्बन्धन -

कोई भी व्यापारी/रिटेलर/बिग चैन रिटेलर/प्रोसेसर (विधिक ईकाईयां) या उसकी ओर से कार्य करने वाला कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(6) प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्तियां-

(1) इस आदेश के उपबंधों का समय पर से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, या तो स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य की सीमा के भीतर तथा अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/ सहायक आपूर्ति अधिकारी/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के भीतर एवं कलक्टर, अपर कलक्टर, संयुक्त कलक्टर, डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उनके अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी कि वह उचित समझे-

(क) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से ऐसे संबंधित संव्यवहारों से संबंधित पुस्तकें तथा लेखे और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी ऐसे स्थान, परिसर, यान या जलयान में, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो, कि इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा, उसे खोल सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) ऐसे संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर बिल बुक या किन्हीं अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें अभिग्रहीत करवा सकेगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया हो;

(घ) गेहूं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उक्त गेहूं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा और अभिग्रहण किए गए गेहूं के स्टॉक तथा पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तथा इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त उपाय करेगा या ऐसा किया जाने के लिए किसी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के उपबंध, यथासंभव, इस आदेश के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

7. छूट.-

राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक : 06 सितम्बर, 2024

क्रमांक- 2132/2147622/2024/29-1,- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक- 2132/2147622/2024/29-1, दिनांक 06 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

No. 2132-2147622-2024-XXIX-1 Bhopal , the 6th September, 2024

Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so, to ensure availability of wheat at reasonable prices;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 read with section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and GSR 800 dated 9th June, 1978 of the Ministry of Agriculture and Co-operation (Food Department) of the Central Government and Notification S.O. No. 2428 (E) dated 24th June, 2024 of theGovernment of India,the State Government, hereby, makes the following Order, namely:-

ORDER

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This order may be called the Madhya Pradesh Wheat (Maximum Stock Limit and Stock Declaration) Control Order, 2024.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

   (3) They shall come into force from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette.

(2) Definitions.-In this order, unless the context otherwise requires,-

   (a) "big Chain retailers" means a person who procures, sells and stores wheat for sale under this order for each outlet;

   (b) "processor" means a trader who deals in processing and procures, sells and stores for sale of the wheat quantity equal to 70 percent of the monthly installed capacity multiplied by the remaining months of 2024-2025;

   (c) "retailer" means a person who procures, sells and stores wheat for retail sale;

   (d) "trader/wholesaler" means the person who procures, sells and stores wheat for trade/wholesale.

(3) **Declaration of stock for the purchase, sale and storage of wheat.**-Every trader/retailer/big chain retailers/processor (legal entities) shall declare the stock held by the respective legal entities regularly on the portal of the Department of Food and Public Distribution, Government of India (https://evegoils.nic.in/wsp/login).

(4) **Maximum stock limit.**-No trader/retailer/big chain retailers/processor (legal entities) shall purchase, sell and store for sale the stock more than the prescribed stock limit mentioned in clause 2 of Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 2428 (E), New Delhi, dated 24th June, 2024 and amendment hereto at different time intervals by the Government of India for the prescribed period:

Provided that the above mentioned legal entities shall declare the stock position on the portal https://evegoils.nic.in/wsp/login of the Government of India and in case the stock held by any trader/retailer/big chain retailers/processor (legal entities) is higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits by the date mentioned in the said notification.

(5) **Restriction on violation of order.**-No trader/retailer/big chain retailers/processor (legal entities) or employee or any other person acting on his behalf, shall violate any of the provisions of this order.

(6) Powers of entry, search and seizure etc.-(1) To ensure timely compliance with the provisions of this order, the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/ Commissioner/Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection of the State Government, Madhya Pradesh either himself or any Officer authorised by him within the limits of the State and Additional Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director/Assistant Supply Officer/Junior Supply Officer, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Madhya Pradesh within the limits of the State of Madhya Pradesh and the Collector, Additional Collector, Joint Collector, Deputy Collector, Tehsildar, District Supply Controller, District Supply Officer, Assistant Supply Officer, Junior Supply Officer within the limits of their respective districts with such assistance, if any, he thinks fit, may-

(a) expect the submission of books and accounts related to concerned transactions and other documents from the owner, occupant or other person incharge, in respect of which he has reason to believe that this order or the provisions of this order have been violated, is being violated, or about to be violated in any place, premises, vehicle or vessel;

(b) enter, inspect, open or search any place, premises, vehicle or vessel in respect of which he has reason to believe that this order or the provisions of this order have been violated, is being violated, or about to be violated in any place, premises, vehicle or vessel;

(c) seize or cause to be seized the Register, Bill Book or any other documents showing the transactions in respect of which there is a violation;

(d) search the stocks, used animals, vehicles, vessels or other vehicles and seize or remove them and shall take such measures or authorize someone for this to facilitate the production of seized wheat stock and animals, vehicles, vessels or other vehicles before the competent court and safe custody of these items until such production.

(2) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) relating to search and seizure shall, as far as possible, apply to search and seizure under this order.

7. **Exemption.**-The State Government, may by general or special order, exempt any class of persons from all or any of the provisions of this Order and may at any time suspend or cancel such exemption.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.